International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 169-171

पंचायती राज द्वारा गोंड जनजातियों में राजनैतिक चेतना

डॉ0 कमलेश पाल

पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधियिम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेन्द्रित करने के उददेश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया।

मूल शब्दः पंचायती राज, गोंड जनजाति, 73वॉ संविधान संशोधन, ग्राम स्वराज व्यवस्था, राजनैतिक चेतना।

प्रस्तावना

लोकतंत्रीय राजनैतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथाार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यो में अनवरत रूचि बनी रहती है। ये लोग अपने स्थानीय स्तर पर नियामकीय एवं विकास कार्यो का सम्पादन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भारत में पंचायत व्यवस्था की पृष्ठभमि अतिप्राचीन रही है। यद्यपि उसका स्वरूप पृथक–पृथक रहा है। वैदिक साहित्य में 'ग्राम' प्रशासन की सबसे छेटी इकाई थी। उस समय इसका मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। वह ग्राम के श्रेष्ठ एंव वयोवृद्ध लोगों से सलाह लेकर अपना कार्य करता था। इसी प्राकर ग्राम संस्थाओं का उल्लेख रामायण एंव महाभारत काव्य ग्रंथों में मिलता है। कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' मौर्यकाल में प्रचलित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। महान मौर्य सम्राटो ने भी शासन की सबसे छोटी इकाई में हस्तक्षेप नहीं किया और ग्राम समुदायों को उसी रूप में रहने दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में ग्राम प्रशासन कायम रहा।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधियिम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेन्द्रित करने के उददेश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है जिसके लिए ग्राम सभा में कोष की व्यवस्था की गई है जिसके चार भाग है–(1) अन्न कोष (2) श्रम कोष (3) वस्तु कोष (4) नगद कोष।

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा जिले के जुन्नार देव जनपद पंचायत के पांच ग्राम पंचायत (1) दमुआ (2) राखी कोल (3) घोरावारी खुर्द (4) करन पियरिया (5) विलावर कला है। इन सभी ग्राम पंचायतो में गोंड जनजातियों की जनसंख्या लगभग 60.00 प्रतिशत से अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण इन ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद इन्ही जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। सरपंच के पदो पर निर्वाचित जनजातीय प्रतिनिधि निश्चित रूप से अपने समाज के प्रति संवेदनशील होगें और उन्हें ऊॅचा उठाने का प्रयास भी करेगें। इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र का चयन अध्ययन के लिए किया गया।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छतीसगढ के पठारी तथा जंगली भागों मे अनेक जनजातियों के लोग रहते है जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडों की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16 वीं शताब्दी तक था। गोंड शब्द कोंड का हिन्दी रूपान्तर है जिसके लिए कोयतोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिसलप के अनुसार–गोंड या गुण्ड शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है। रशल और हीरालाल (1935) के अनुसार गोंड और उनकी उपजातियां स्वंय की पहचान 'कोय' या 'कोयतोर' शब्द से करती हैं जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य है। ग्रियर्सन (1931) का कथन है कि मध्य से लेकर पूर्वी भागों और हैदराबाद तक जहां कही भी गोंड अपनी भाषा का प्रयोग करते है अपने को 'कोया' या 'कोयतोर' कहते है।

मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों का विस्तार सतपुड़ा रेंज के छिदवाडा, बैतूल, होशंगावाद,सिवनी, नरसिंहपुर और मडला जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। कालान्तर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने राज्य विकसित किये इनमें से नर्मदा भदी बेसिन पर स्थित 'गढ़ मण्डला' एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। गोंडी भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा प्राचीन पांच भाषाओं में से एक होने के कारण अनेक देशी.विदेशी भाषाओ की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्यदेव शंभू शेक के डमरू से हुई, जिसे गोएन्दाधिवासी या गोंड वासी कहा जाता है अति प्राचीन भाषा होने के कारण गोडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि और व्याकरण है जिसे समय.समय पर गोंडी साहित्यकारों ने प्रस्तको के माध्यम से प्रकाशित किया हैं। शारीरिक रचना का जहां तक प्रश्न है, गोंडों के बाल. चमडी और आंख की पुतली गाढे रंग की होती है। सिर मुख्यतः लम्बे तथा इनकी शीर्ष

देशना कम होती है क्योंकि इनके सिर बहुत संकरे होते हैं तथा मस्तक भी सेकरा होता है चेहरा सामान्य रूप से चौडा दिखता है और ठोढी संकरी तथा नुकीली होती है इस प्रकार चेहरे में होठ विशेष प्रकार का मोटा तथा सामने की ओर निकला होता है आंखों में उपरी पलक छुपी सी रहती है तथा उनकी उचाई माध्यम से निम्न तक होती हैं इनके पैर लम्बे धड अपेक्षाकृत छोटे तथा गोड लोग लोग दुबले होने पर भी मजबूत होते है। प्रायः गोड लोग काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते है किन्तु इनके अंग भद्दे रिखाई देते है।

पंचायती राज द्वारा राजनैतिक चेतना का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

राजनीतिक चेतना से तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ज्ञान से है यह राजनीतिक संस्थाओं एवं प्राक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ एवं उसके प्रति जागरूकता एवं उत्साह से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायतीराज की स्थापना भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है पंचायती राज का सीधा सा अर्थ है पंचायतों का निर्माण, क्रियान्वयन और राजकाज में भागीदारी। चूँकिं पंचायतें आम आदमी से मिलकर बनी होती है इसलिए पंचायती राज में आम आदमी ही नीति निर्धारण में हिस्सेदारी करता है वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था से गोड जनजाति लाभान्वित हुयी है, इससे इन्कार नही किया जा सकता है। आज गोड जनजाति के लोग अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति सचेत हो गये है। अब ये बिना किसी भय के पंचायत चुनाव में मतदान करते हैं। इस प्रकार कुछ जनजातियों ने इस बात को स्वीकार किया कि कभी कभी जनजातीय लोग लोभवश पैसे आदि के कारण मतदान अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अधिकांश जनजातियां अब अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गयी है और वर्तमान में ये आसानी से उच्च पदों पर निर्वाचित हो जाती है जिससे अब इनमें भी आपस मे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना होने लगी है। जब जनजातिय लोग इन उच्च पदों पर निर्वाचित हो जाते हैं तो उनमें आये बदलाव से आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगती है। इसी प्रकार पंचायतों के द्वारा जगह–जगह पर स्लोगन और नारों द्वारा किया जाता है जिसके शरण आज इनमें जागरूकता बढी है लगभग दो दशक से पंचायती राज ने व्यापक अदलाव शुरू किया है जिससे निःसंदेह जनजातियों जीवन थी प्रभावित हुआ है।

इसी प्रकार जनजाति एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करते आ रहे हैं। स्थायी रूप से बसे होने के कारण अपने लोगों की सुरक्षा, परम्पर और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव सजग बने रहते है ताकि बिना शरू तत्व इनकी सामाजिक परम्पराओं और जीवन शैली को नष्ट न कर सके, इन्हीं सारे कार्यो को करने के लिए इनका अपना राजनैतिक संगठन का नेता वंश परम्परा के अनुसार होता है। इसी एक व्यकित के हाथ में प्रभुसत्ता व अधिकार होते हैं तथा यह संगठन सामाजिक आर्थिक नातेदारी तथा धर्म को संचालित करता है और जनजाति का प्रत्येक सदस्य इस संगठन में सक्रिय रहता है लेकिन इनके नेता सर्वोपरि होता है जिसे गोंड जनजाति के लोग मुखिया कहते हैं। पंचायती राज की स्थापना के बाद से गोड जनजातिय लोगों में प्रभुसत्ता के दो भाग बन गये है पहला जो कि जनजातीय संगठन के मुखिया से नियंत्रित होता है जबकि दूसरा पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा केन्द्रित है। इस प्रकार दोनों व्यवस्था में टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है। जनजातीय पंचायत में मुखिया परम्परागत अर्थात वंशानुगत नियुक्त होता है और यह ज्यादातर प्रथाओं पर आधारित होता है जबकि पंचातीराज व्यवस्था में पंचायत संगठन का चुनाव नियम और कानून नियम और कानून पर आधारित होता है इस प्रकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनजातीय संगठन स्वीकार नहीं कर पता है अतः उनमें टकराहट की स्थिति उत्पन्न होता है। इस प्रकार देखा गया कि गोंड जनजाति के लोग सहज और सरल होते हैं लेकिन पदो पर असीन लोगो के अहम के कारण टकराहट की स्थिति बन जाती है जिसका खामियाजा सभी ग्राम वासियों को भुगतना पडता है

इस प्रकार से पंचायतीराज व्यवस्था से इनमे बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और यह बदलाव आगे होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ने इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

पंचायत स्तर पर सुझाव

- इनका राजनीतिक रूप से विकास हो सके इसके लिए इनको प्रशिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर इनके व्याक्तित्व किकास के लिए शिविर आदि लगाये जाने चाहिए
- पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में जनजतियों की बात को महत्व देना चाहिए जिससे इनमें पंचायती राज पर विश्वास बढ सके।
- पंचायत स्तर पर मतदान के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर इनको इस तरह से प्रशिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए जिससे इनके व्यक्तिगत एवं राजनैतिक जीवन का विकास हो सके।

सन्दर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुडगॉव हरियाणा।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गेनाइजेषन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर।
8. पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3–5
9. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड़ 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
10. रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
11. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
12. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
13. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आषीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

14. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
15. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति।
16. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
17. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
18. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, क्राउन पब्लिकेशन्स राची।
19. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।